राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.10(न.पा.)(गठन)(   )/डीएलबी/20/2428 दिनांकः 17/7/23

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )/डीएलबी/20/351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको में राज्य सरकार किसी क्षेत्र के महत्व एवं स्थानीय आवश्यकताओं एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानको में शिथिलन देते हुए किसी लघु शहरी क्षेत्र (नगर परिषद) को वृहत नगरीय क्षेत्र (नगर निगम) घोषित कर सकती है, किसी संक्रमण क्षेत्र (नगरपालिका) को लघु नगरीय क्षेत्र (नगर परिषद) घोषित कर सकती है एवं किसी ग्राम पंचायत को संक्रमण क्षेत्र (नगरपालिका) घोषित कर सकती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकःप.10(न.पा.)(गठन)(   )/डीएलबी/20/2429-2682 दिनांकः 17/7/23

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुत/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकायें समस्त राजस्थान।
6. समस्त अधिकारी निदेशालय।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
9. अधीक्षक, केंद्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी